16 सितंबर, 2010 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 42वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 42.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर *	आवेदन की स्थिति
i.	मैसर्स पूर्णिमादेवी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड	सुलिकेरी गांव, केंगरी होबली, बंगलौर दक्षिण तालुक, बंगलौर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	13.11	हां	हां	नया
(ii)	मैसर्स लेपाक्षी नॉजेज हब प्राइवेट लिमिटेड	चिल्लामटूरु और गोरंटला मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	जैव प्रौद्योगिकी	11.88	हां	हां	नया
iii	मैसर्स लेपाक्षी नॉजेज हब प्राइवेट लिमिटेड	चिल्लामटूरु मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	एयरोस्पेस और प्रिसीजन इंजीनियरिंग	115.41	हां	हां	नया
iv	मैसर्स लेपाक्षी नॉजेज हब प्राइवेट लिमिटेड	चिल्लामटूरु मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	एफटीडब्ल्यूजेड	40	हां	हां	नया
v.	मैसर्स गोपाल ई-पार्क	ग्राम कुरगल्ली, इटवाला, होबली, मैसूर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक	आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर	11.35	हां	हां	नया
vi.	मैसर्स सूर्या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	मौजा - तुलसीदेईपुर, चांदका, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आईटी / आईटीईएस	10.526	हां	हां	नया
vii	मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	सारजपुर गांव एवं बिल्लापुर गांव, अनेकल तालुक, बंगलौर, कर्नाटक	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	24.446	हां	हां	नया
VIII.	मैसर्स विविमेड लैब्स लिमिटेड	बोयापालम, नारुवा एवं चित्तीवालसा गांव, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश	रसायन और फार्मास्युटिकल - (बल्क / एपीआई / फार्मुलेशन)	131.68	आंशिक (79.67 हेक्टेयर)	हां	नया

***राज्य सरकार की सिफारिश**

मद संख्या 42.2 : एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति

09 **अप्रैल**, 2010 **को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि एसईजेड में प्लास्टिक की रिप्रोसेसिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। तद्नुसार प्रारूप नीति तैयार की गई है तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए अनुबंध** 1 **के रूप में प्रस्तुत है।**

मद संख्या 42.3 : विशेष आर्थिक क्षेत्र में सन्निकटता स्थापित करने पर दिशानिर्देश

08 जून 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विशेष आर्थिक क्षेत्र में सन्निकटता स्थापित करने से संबंधित प्रारूप दिशानिर्देश विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव में दो घटक हैं (क) सन्निकटता स्थापित करने पर बल नहीं दिया जाएगा यदि कोई सार्वजनिक उपयोग की सेवा जैसे कि सड़क, जलापूर्ति लाइन, सीवेज लाइन, ड्रेन, नहर या रेलवे लाइन एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से गुजर रही है, और (ख) यदि विकासक सन्निकटता स्थापित करने के लिए किसी संरचना का निर्माण करना चाहता है, तो उसे यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा एसईजेड के अंग के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है और ड्यूटी फ्री सामग्री के लिए पात्र होगा।

चर्चा के दौरान, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने कहा कि जहां तक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के गुजरने पर सन्निकटता स्थापित न होने पर पहले विकल्प का संबंध है, यह उनको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य है। जहां तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ड्यूटी फ्री सामग्री का संबंध है, निर्णय लिया गया कि अनुमोदन बोर्ड प्रत्येक मामले पर मेरिट के आधार पर विचार कर सकता है। राजस्व विभाग में उपयुक्त स्तरों पर समुचित अनुमोदन के बाद अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व राजस्व विभाग इस संबंध में राय की पुष्टि करेगा। तथापि, राजस्व विभाग ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। राजस्व विभाग का संचार अनुबंध 2 के रूप में उपलब्ध हैं।

प्रारूप दिशानिर्देश (अनुबंध 3) विचार के लिए एक बार पुन: प्रस्तुत हैं।

मद संख्या 42.4 : एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर का रिफंड

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (105) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवाकर का रिफंड प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या 9/2009-सेवा कर दिनांक 3 मार्च 2009 जारी की गई, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में अधिकृत प्रचालनों (एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत यथापरिभाषित) के संबंध में प्रदान की जाती हैं और एसईजेड के विकासक या यूनिटों द्वारा प्राप्त की जाती हैं, उक्त कराधेय सेवाएं एसईजेड के अंदर प्रदान की जाती हैं या नहीं। इसके बाद रिफंड रूट का अनुसरण किए बगैर एसईजेड के अंदर उपभोग की गई सेवाओं के लिए शर्त रहित छूट प्रदान करने के लिए उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 15/2009-सेवा कर दिनांक 3 मार्च 2009 को संशोधित करने के लिए अधिसूचना संख्या 15/2009-सेवा कर दिनांक 20 मई 2009 जारी की गई और इस प्रकार सेवा प्रदाता द्वारा पहले कर का भुगतान करने और फिर विकासक / यूनिट द्वारा उसके रिफंड का दावा करने की आवश्यकता समाप्त की गई। इस प्रकार रिफंड के रूप में छूट केवल ऐसी स्थितियों तक सीमित थी जब एसईजेड को प्रदान की गई कराधेय सेवाओं का उपभोग आंशिक रूप से या पूर्णत: एसईजेड के अंदर होता है।

जहां रिफंड का दावा करने की आवश्यकता होती है, सीबीईसी का परिपत्र संख्या 114/2009-सेवा कर दिनांक 20 मई 2009 यह अपेक्षा करता है कि रिफंड के दावे के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :

1. अनुमोदन समिति के अनुमोदन के अनुसार एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में अपेक्षित निर्दिष्ट सेवाओं की सूची की प्रति;
2. सेवा कर के भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज

सीबीईसी का परिपत्र यह भी कहता है कि सेवा कर रिफंड की देय राशि का 80 प्रतिशत रिफंड का दावा दाखिल किए जाने के 15 दिन के अंदर एसईजेड के विकासक या यूनिट को तदर्थ अंतरिम रिफंड के रूप में इस शर्त के अधीन संस्वीकृत किया जाना है कि रिफंड का दावा पूर्ण है तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न हैं। परिपत्र यह भी कहता है कि रिफंड के दावों को रिफंड का दावा दाखिल किए जाने की तिथि से 30 दिन की अधिकतम अवधि के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए तथा हर हाल में रिफंड का दावा दाखिल किए जाने की तिथि से 45 दिन के बाद अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

एसईजेड के लिए सेवा कर के रिफंड की इस व्यवस्था में एक बुनियादी समस्या है। सामान्यतया रिफंड के दावे सेव प्रदाताओं द्वारा किए जाने चाहिए। तथापि, यहां रिफंड के दावे सेवाओं के प्रयोक्ताओं (एसईजेड विकासक / यूनिट) द्वारा दाखिल किए जाते हैं। सीबीईसी का अनुदेश कहता है कि रिफंड के दावे के समर्थन में सेवा कर के भुगतान का साक्ष्य प्रदान करने वाले दस्तावेज होने चाहिए। ये दस्तावेज केवल सेवा प्रदाताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं जो भुगतान करते हैं। वर्तमान प्रक्रियाओं के अनुसार सेवा प्रयोक्ता के लिए सेवा कर का सीधे भुगतान करना संभव नहीं है। सेवा प्रदाता उनसे एकत्र किया गया सेवा कर जीएआर-7 चालान के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करते हैं। उनके द्वारा जमा किए गए सेवा कर में एसईजेड यूनिट / विकासक तथा अन्य डीटीए सेवा प्राप्तकर्ताओं से सेवा प्रदाता द्वारा वसूला गया सेवा कर शामिल हो सकता है।

एसईजेड में यूनिटों के लिए जीएआर-7 चालान की प्रतियां प्राप्त करना कठिन हो रहा है जिसके माध्यम से सेवा प्रदाता उनसे एकत्र किया गया सेवा कर सरकारी खाते में जमा करता है (सेवा कर के भुगतान का साक्ष्य प्रदान करने वाला दस्तावेज)। इस दस्तावेज के बगैर क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी एसईजेड की यूनिटों / विकासकों द्वारा दाखिल किए गए सेवा कर रिफंड के दावों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं।

अत: सुझाव है कि राजस्व विभाग ऐसी प्रक्रिया लागू करने पर विचार करे जिसमें सेवाओं के प्रयोक्ता / प्राप्तकर्ता के रूप में एसईजेड की यूनिटें / विकासक सरकारी खाते में सीधे सेवा कर जमा कर सकें। इसके बाद एसईजेड यूनिट / विकासक सेवा प्रदाता को सेवा कर का भुगतान करने की बजाय सेवा प्रदाता को चालान की प्रति देगा। इस प्रक्रिया से सरकार के हितों की रक्षा होगी तथा एसईजेड यूनिटों / विकासकों को सेवा कर का रिफंड शीघ्रता से मिल सकेगा।

मद संख्या 42.5 : एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 41 में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 41 के तहत उप संविदा की सुविधा अनुमत है। तथापि, नियम 41 (क) के अनुसार, जो वस्तुएं उप संविदा के लिए भेजी जाती हैं उनको 120 दिन या ऐसी अवधि जो निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है, के अंदर एसईजेड परिसर में वापस लाने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में इस प्रावधान का अनुपालन करना संभव नहीं है क्योंकि संयोजन के बाद

माल को एसईजेड यूनिट में वापस नहीं लाया जा सकता है। इसके फलस्वरूप डिलीवरी अनिवार्य रूप से उप ठेकेदार के परिसर से करनी होती है।

एसईजेड में माल को वापस लाने की आवश्यकता से छूट प्रदान करने तथा निर्यात एवं डीटीए क्लियरिंस दोनों के लिए उप ठेकेदार के परिसर से डिलीवरी करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह छूट केवल निर्यात के लिए न कि डीटीए क्लियरेंस के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 42 में प्रदान की गई है। डीटीए क्लियरेंस को भी अनुमत करने के लिए इस शर्त में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

मामला अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 42.6: सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) ग्राम मामिडिपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

ग्राम मामिडिपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 101.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए विकसित किया जा रहा एसईजेड 20 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआरओ अवसंरचना के विकास, निर्माण और अनुरक्षण के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव 13 जुलाई, 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा आस्थगित कर दिया गया। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को विकासक के साथ चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया तथा रिपोर्ट में व्यवसाय माडल की प्रकृति भी शामिल होनी चाहिए।

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसार विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें विकास आयुक्त ने यह कहते हुए प्रस्ताव की सिफारिश की है कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एमएएस जीएमआर) का अनुरोध एसईजेड अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुरूप है जहां सह विकासक से यूनिटों को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा होती है। विकास आयुक्त ने यह भी कहा है कि एमएएस जीएमआर द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण की जांच करने पर पाया गया कि प्रस्तावित हैंगर और उपकरण एमआरओ सुविधा के लिए अपेक्षित अवसंरचना के अभिन्न अंग हैं। इसके अलावा, यद्यपि सह विकासक ने 250 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है, भावी एमआरओ आपरेटर (यूनिट) को सुविधा को क्रियाशील बनाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा।

जहां तक व्यवसाय माडल का संबंध है, विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि मैसर्स जीएमआर हैदराबाद ऐविएशन एसईजेड लिमिटेड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में एमएएस जीएमआर को अधिसूचित भूमि में से 10 हेक्टेयर पट्टा पर दिया है जिसके लिए विकासक भूमि पट्टा किराया वसूल करेगा। एमएएस जीएमआर पट्टे पर प्रदान की गई भूमि पर एमआरओ सुविधा के लिए अवसंरचना का सृजन करेगा

तथा किसी संभावित एमआरओ आपरेटर को एमआरओ सुविधा के आवंटन के लिए सुविधा पट्टा किराया वसूल करेगा। अनुमोदित होने पर यूनिट एसईजेड अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एयरलाइन कस्टमर से सेवा शुल्क वसूल करेगी।

इसे ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) पानोली, अंकलेश्वर के पास, जिला भड़ूच गुजरात में मैसर्स जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फार्मास्युटिकल के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का अनुरोध

पानोली, अंकलेश्वर के पास, जिला भड़ूच गुजरात में 125.04.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 9 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में गैस पारेषण एवं वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 1 जून 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्य एसईजेड अधिसूचित किया गया है। मैसर्स मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो विकासक की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है, ने लगभग 175 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरफील्ड पेवमेंट संचार एवं नैविगेशन ऐड्स, विजुअल ऐड्स, यात्री एवं कार्गो टर्मिनल तथा उपकरण, सहायता सेवाओं, वेयरहाउसिंग की सुविधाओं तथा एमआरओ सुविधाओं सहित एयरपोर्ट तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 28 अगस्त 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए पुन: प्रस्तुत है।

(iv) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुंद्रा एलएनजी लिमिटेड का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्य एसईजेड अधिसूचित किया गया है। मैसर्स मुद्रा एलएनजी लिमिटेड जो विकासक की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है, ने लगभग 136 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में निम्नलिखित अवसंरचना सुविधाओं अर्थात एलएनजी टर्मिनल, भंडारण तथा पुन: गैसीकरण की सुविधाओं, गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र (जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट तक होगी) तथा संबद्ध सुविधाओं के

विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 28 अगस्त 2010 उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए पुन: प्रस्तुत है।

(v) कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएएसईजेड) में सह विकासक के लिए मैसर्स वर्ल्ड्स विंडो इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिसिटक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स वर्ल्ड्स विंडो इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिसिटक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 25 एकड़ के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के लिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार उपलब्ध नहीं कराया गया है। सह विकासक करार की प्राप्ति के अधीन सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए पुन: प्रस्तुत है।

(vi) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद्र एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उक्त एसईजेड 6472.8684 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है। मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड ने 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर फ्रेट स्टेशन तथा मालगोदाम की सुविधाओं के विकास एवं प्रचालन के लिए सह विकासक बनने के लिए अनुरोध किया है। 11 फरवरी 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया। राजस्व विभाग का यह अभिमत है कि एसईजेड कार्गो के लिए एक और सीएफएस का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि एसईजेड में पहले से ही कई सीएफएस हैं। आगे चलकर विकास आयुक्त, केएएसईजेड की जानकारी में यह लाया गया कि एसईजेड में प्रचालन करने वाले 9 सीएफएस सह विकासक के रूप में अनुमोदन बोर्ड द्वारा या यूनिट के रूप में काम करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है क्योंकि ये सीएफएस सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए हैं। 8 जून 2010 को अनुमोदन बोर्ड समक्ष मामले को पुन: प्रस्तुत किया गया तथा अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत समुचित प्राधिकार के बगैर एसईजेड में काम करने वाले सीएफएस के संबंध में संपूर्ण मामले का समाधान होने तक प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया। इस बीच जिन सीएफएस को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे वे कोर्ट में चले गए हैं।

अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामला पुन: प्रस्तुत है।

मद संख्या 42.7 : मामिडीपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में विमानन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

ग्राम मामिडिपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 101.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए विकसित किया जा रहा एसईजेड 20

अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एप्रॉन का निर्माण	1	लागू नहीं	85280 वर्गमीटर (लंबाई 533 मीटर और 160 मीटर)

विकासक ने कहा है कि एसईजेड में एयरफ्रेम मेंटीनेंस, रिपेयर एवं ओवरहालिंग (एमआरओ), कंपोनेंट एमआरओ तथा इंजन एमआरओ जैसी सेवाएं होंगी। इन एमआरओ के लिए एप्रॉन की आवश्यकता होगी ताकि एसईजेड में विभिन्न एमआरओ यूनिटों के अंदर एयरक्राफ्ट की पार्किंग हो सके। यह भारतीय नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए), तथा संघीय विमानन प्रशासन (एफएए), यूएसए की अनिवार्य आवश्यकता है। विभिन्न एमआरओ यूनिटों जो एसईजेड में स्थापित की जानी हैं, द्वारा इस एप्रॉन का प्रयोग एक साझी अवसंरचना के रूप में किया जाएगा। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

मद संख्या 42.8 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) खरादपाडा, नरोली, दादरा एवं नगर हवेली में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ओमनीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एवं दीव एंड दादरा एवं नगर हवेली लिमिटेड (ओआईडीसी) का अनुरोध

(ii) टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में चमड़ा एवं चर्म उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(iii) कापरडा, जोधपुर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध

(iv) पुटलमपल्ली गांव, कडपा मंडल, कडपा जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(v) मडिकोंडस गांव, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(vi) **अनंतसागर गांव, हासनपार्ती मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 29 **जुलाई**, 2010 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वीआर एंटरप्राइजेज का अनुरोध**

(vii) **नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 29 **जुलाई**, 2010 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नया रायपुर विकास प्राधिकरण का अनुरोध**

(viii) **जम्बूसर, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पद्व एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 30 **सितंबर**, 2010 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग एसईजेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

(ix) **गोपनपल्ली और वट्टिनगुलपल्ली गांव, सेरिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 24 **जून**, 2010 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध**

(x) **गंगैकोंडन गांव, तिरूनलवेली तालुक, तिरूनलवेली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 25 **जुलाई**, 2010 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध**

(xi) **नंगुनेरी तालुक, तिरूनलवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पद्व एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 22 **मई**, 2010 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड का अनुरोध**

(xii) **नंगुनेरी तालुक, तिरूनलवेली जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पद्व एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 22 **मई**, 2010 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड का अनुरोध**

उसके नाम में औपचारिक अनुमोदन को अंतरित करने तथा एसईजेड के सेक्टर तथा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए जीआईडीसी का अनुरोध इस एजेंडा में भी विचार के लिए शामिल किया गया है (मद संख्या 42.16)**।**

(xiii) **नंबर** 51, **शोलिंगानल्लूर गांव, पुराना महाबलिपुरम रोड, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 24 **अक्टूबर**, 2009 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स हासिंडा का अनुरोध विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।**

मद संख्या 42.9 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम ओवाले, चोडबंडर रोड, जिला थाणे, महाराष्ट में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 22.32.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 02 जुलाई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 20 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा कहा है कि वह परियोजना का विकास करने का इच्छुक है तथा विकास कार्य यथाशीघ्र शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(ii) टाडिपुडी गांव, कोव्वूर के पास, टल्लापुडी मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में लेखन एवं मुद्रण पेपर मिल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ह्वाइटफील्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 121.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 109.81 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 20 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा कहा है कि इस परियोजना में मेगा यूनिटों जैसे कि 210000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की बड़ी पेपर मिल तथा 40 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना शामिल है जिसकी परिपक्वता अवधि लगभग 2 साल है तथा जैसा कि विकासक को उनके द्वारा विशेष रूप से अपेक्षित अवसंरचना सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी और प्रदान करना होगा, परियोजना को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(iii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स संघी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जून, 2006 के माध्यम से 202.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 202.40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि पिछले 2-3 वर्षों के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण आईटी / आईटीईएस क्षेत्र में

परियोजनाएं आस्थगित की गई हैं क्योंकि इस क्षेत्र का विकास अनिश्चित है। अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं इसलिए कंपनी एसईजेड का विकास शुरू करना चाहती है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(iv) कुन्नातुनडाउ गांव, तालुक मोरकाला देशम, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक कोच्चि एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 23 अगस्त, 2006 के माध्यम से 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 22 अगस्त, 2010 तक वैध है। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(v) हासन, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम (केआईएडीबी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 281.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 109.295 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा कहा है कि विकास कार्य के लिए जून 2010 के अंत तक 27.03 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि पीपीपी माडल पर एसईजेड के शेष विकास के लिए रुचि की अभ्यक्ति आमंत्रित की गई है तथा उक्त एसईजेड के शेष विकास के लिए सह विकासक का चयन करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(vi) कंकसा, पानगढ़ बाजार, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा (पूर्व में आईटी / आईटीईएस) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 23 अगस्त, 2006 के माध्यम से 26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 28.972 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 24 अगस्त, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 22 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेड का सेक्टर आईटी / आईटीईएस से बदलकर सौर ऊर्जा

उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा करने के लिए मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(vii) इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज III, बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी एवं सूचना सेवा (केबीआईटीएस) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 37.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 23 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा कहा है कि वर्ष 2006 के दौरान परियोजना सह विकासक के चयन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई तथा चयनित बोलीदाता तथा कंसोर्टियम पार्टनर के बीच करार पर हस्ताक्षर न होने के कारण प्रक्रिया फलीभूत नहीं हो सकी। दूसरी बार वैश्विक निविदाएं 23 जनवरी 2009 को आमंत्रित की गईं। अब एक निविदा मैसर्स एआरई मारीशस नंबर 5 लिमिटेड की प्राप्त हुई है तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरणों पर है। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(viii) बादशाहपुर गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल एसईजेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 10.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.9915 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 15 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 5 नवंबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि मास्टर प्लान तैयार करने तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मास्टर प्लान के अनुमोदन के बाद निर्माण कार्य आरंभ होगा। विकासक ने यह भी कहा है कि आईटी सेक्टर ने आर्थिक मंदी के कारण कंपनी साइट पर पहले निर्माण शुरू कराने में समर्थ नहीं हो सकी। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(ix) एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 नवंबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 03 नवंबर, 2006 के माध्यम से 107 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 107.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को

औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 2 नवंबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा कहा है कि कार्य प्रगति पर है तथा बहुत शीघ्र एसईजेड के क्रियाशील हो जाने की संभावना है। एसईजेड को चालू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मद संख्या 42.10 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स रिलाएबल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	बहु उत्पाद, 1010 हेक्टेयर	पछमा (अब्दुल्ला पुर) जिला सिहोर, मध्य प्रदेश	एलओए दिनांक 10 सितंबर, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 9 सितंबर, 2010 तक वैध है। अब विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कंपनी 800 एकड़ (323.76 हेक्टेयर) भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है तथा शेष भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा बहु उत्पाद एसईजेड के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल समूहन पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। विकासक ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार 59.633 हेक्टेयर (147 एकड़) भूमि आवंटित करने वाली है, जिसके आवंटन के बाद कंपनी 300-400 एकड़ में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के औपचारिक अनुमोदन तथा धीरे धीरे बहु उत्पाद एसईजेड में विस्तार के लिए आवेदन करेगी।

मद संख्या 42.11 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड	कृषि आधारित, 101.981 हेक्टेयर	करनाल और अंबाला जिला के मध्य, हरियाणा	एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2010 तक वैध है। अब विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कंपनी 252 एकड़ (101.981 हेक्टेयर) की कुल आवश्यकता में से 180 एकड़ (72.846 हेक्टेयर) भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है। शेष भूमि अनुबंधित की जाएगी तथा यथाशीघ्र कंपनी के नाम में पंजीकृत कराई जाएगी।

मद संख्या 42.12 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) हिंजेवाड़ी गांव, मुसली तालुक, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बेस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

हिंजेवाड़ी गांव, मुसली तालुक, पुणे, महाराष्ट्र में 10.56.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स बेस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 15 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने आर्थिक मंदी तथा उद्योग में स्थान के लिए कम मांग के कारण तथा प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत राजकोषीय रियायतों के जारी रहने के संबंध में अनिश्चितता के कारण भी एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक द्वारा यह भी बताया गया है कि एसईजेड में कोई क्रियाशील यूनिट नहीं है। विकासक ने यह वचनपत्र भी प्रदान किया है कि उन्होंने एसईजेड अधिनियम और नियमावली के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) रहेजा इनफोसिटी 1, प्लाट नंबर 2/1/बी, ब्लाक-डी, ट्रांस - थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स रहेजा युनिवर्सल लिमिटेड का अनुरोध

20.654 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 6 जनवरी, 2010 को 10.13 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 10.524 हेक्टेयर हो गया। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि हितधारकों तथा विकासक के निदेशक मंडल ने एसईजेड के विकास की योजना का पुनर्मूल्यांकन किया है तथा उनका यह मानना है कि आईटी / आईटीईएस सेक्टर में लगातार अनिश्चितता के कारण एसईजेड परियोजना का विकास करना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। इसके अलावा, प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत एसईजेड में स्थापित यूनिटों के लिए करावकाश की उपलब्धता के संबंध में अनिश्चितता से भी आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थान के लिए मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विकासक ने यह भी कहा है कि उन्होंने एसईजेड अधिनियम और नियमावली के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 42.13 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 25 जून, 2008 के माध्यम से ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 10.975 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवपलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने कहा है कि पर्याप्त मांग न होने के कारण वे परियोजना स्थापित करने में

समर्थ नहीं हैं। अत: विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा चेन्नई में आईटी, हार्डवेयर और बायो इनफार्मेटिक्स के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजार्ट इंडिया लिमिटेड को प्रदान की गई मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 14 फरवरी 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 3 एकड़ भूमि में संपूर्ण अवसंरचना के विकास के लिए मैसर्स महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजार्ट इंडिया लिमिटेड को सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई थी। अब सह विकासक ने कहा है कि उसके व्यवसाय योजनाओं में परिवर्तन के मद्देनजर उसके होटल अवसंरचना को कार्यान्वित करना संभव नहीं है और इसलिए उसने अनुमोदन बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर विकासक को प्लाट लौटाने का निर्णय लिया है। अत: सह विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। सह विकासक ने कहा है कि प्लाट पर निर्माण आरंभ करने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया है और इसलिए एसईजेड नियमावली / अधिनियम के तहत कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है। विकासक ने भी अनुमोदन को वापस लेने के लिए सह विकासक के अनुरोध पर अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) शेंद्रा फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 27 मई, 2009 के माध्यम से शेंद्रा फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र में 11.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने कहा है कि समय गुजर जाने के कारण कंपनी की एसईजेड व्यवसाय योजना कम प्रासंगिक हो गई है। इसलिए उसने प्रस्तावित एसईजेड को स्थापित न करने का निर्णय लिया है। अत: विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने भी विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) अंबरनाथ, जिला थाणे, महाराष्ट्र में बायोटेक (मूलत: आईटी / आईटीईएस) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र इंडसिट्रयल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआईडीसी) को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से महाराष्ट्र इंडसिट्रयल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआईडीसी) 16.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने भी विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

(v) वेमाली, जिला वडोदरा, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स स्ट्रेंथ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 3 सितंबर, 2008 के माध्यम से वेमाली, जिला वडोदरा, गुजरात में 13.74 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स स्ट्रेंथ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने निम्नलिखित कारणों से औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है (i) वैश्विक मंदी (ii) आईटी / आईटीईएस एसईजेउ स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा आवंटित भूमि की अनुपयुक्तता और (iii) प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में परिकल्पना के अनुसार 31 मार्च 2011 के बाद प्रचालन करने वाली एसईजेड यूनिटों के लिए लाभों का न मिलना। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि प्रस्तावित एसईजेड के लिए आवंटित भूमि गुजरात सरकार को लौटा दी गई है तथा उनके द्वारा यह स्वीकार कर ली गई है।

उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 42.14 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) गांव इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ, मौजपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स अर्शिया नार्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से 40.076 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एफटीडब्ल्यूजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने प्रस्तवित एफटीडब्ल्यूजेड में 11.363 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एफटीडब्ल्यूजेड का कुल क्षेत्रफल 51.439 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने सूचित किया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि पर उसका कब्जा है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि भूमि खाली है, संस्पर्शी है और भारग्रस्तता से मुक्त है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) रमन नगर, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल घटाने के लिए मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से विकासक को रमन नगर, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में 15.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद औपचारिक अनुमोदन की अवधि 25 अक्टूबर, 2011 तक बढ़ाई गई। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक ने एसईजेड की 5.08 हेक्टेयर भूमि को कम करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है जिससे प्रस्तावित एसईजेड का क्षेत्रफल 10.42 हेक्टेयर हो जाएगा।

विकासक ने बताया है कि जिस भूमि पर उन्होंने आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है उसके मध्य में एक संपर्क सड़क है जिसके कारण उक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल 17 एकड़ और 22 एकड़ के दो भागों में विभाजित है। इसलिए सन्निकटता सुनिश्चित करने के लिए विकासक ने 8 एकड़ 7 गुंटा अतिरिक्त भूमि जो मौजूदा भूमि से सटी हुई है और विकासक के कब्जे में है, शामिल करके 17 एकड़ पर एसईजेड का विकास करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार प्रस्तावित एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 15.5 हेक्टेयर के स्थान पर 10.42 हेक्टेयर होगा।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 42.15 : कंकसा, पानगढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को बहाल करने तथा एसईजेड का सेक्टर बदलकर सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा करने के लिए मैसर्स एनफील्ड रियाल्टर्स लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 मई 2007 के माध्यम से कंकसा, पानगढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एनफील्ड रियाल्टर्स लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद, मैसर्स एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया जिस पर 05 नवंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा मंजूरी प्रदान की गई। एलओए 13 नवंबर, 2009 को जारी किया गया था। विकासक ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है ताकि मैसर्स एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड जो इसकी नियंत्रक कंपनी है और जो जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक भी है। तथापि, मैसर्स एनफील्ड रियाल्टर्स लिमिटेड के संबंध में अतिरिक्त क्षेत्रफल की अधिसूचना के समय यह नोटिस किया गया कि अभी भी भूमि मैसर्स एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड के नाम में है। अत: मैसर्स एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड के संबंध में अतिरिक्त क्षेत्रफल की अधिसूचना, जो 05 नवंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित भी है, अभी तक जारी नहीं हुई है।

अब विकासक ने औपचारिक अनुमोदन को बहाल करने का अनुरोध किया है जिसे अनुमोदन बोर्ड द्वारा यह कहते हुए वापस ले लिया गया था कि चूंकि मैसर्स एनफील्ड रियाल्टर्स लिमिटेड और

मैसर्स एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड के विलय में समय लग सकता है इसलिए वे मैसर्स एनफील्ड रियाल्टर्स लिमिटेड के नाम में एसईजेड को अधिसूचित कराना चाहते हैं। विकासक ने एसईजेड के सेक्टर को "जैव प्रौद्यागिकी" से बदलकर "सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा" करने का भी अनुरोध किया है।

मैसर्स एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने के लिए 05 नवंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में एसईजेड के क्षेत्रफल में 11.42 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड को प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेना भी आवश्यक होगा।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 42.16 : औपचारिक अनुमोदन के अंतरण, क्षेत्रफल में वृद्धि और ग्राम मोती चिरई, जिला कच्छ, गुजरात में हस्तशिल्प एवं कारीगर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर बदलने के लिए गुजरात सेंटर्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीजीसीडीसीएल) का अनुरोध

एलओए दिनांक 25 जून, 2007 के माध्यम से ग्राम मोती चिरई, जिला कच्छ, गुजरात में 131-59-62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सीजीसीडीसीएल को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। सूचित किया गया है कि जीजीसीडीसीएल की गतिविधियां गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) को अंतरित कर दी गई हैं। इसके अलावा, जीजीसीडीसीएल गुजरात राज्य में विकास केंद्र स्थापित करने के लिए मूलत: जीआईडीसी का एसपीवी था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अब यह तय किया गया कि जीआईडीसी उपर्युक्त एसईजेड का विकासक होगा। इसलिए जीआईडीसी ने अपने नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए अनुरोध किया है। जीआईडीसी ने यह भी कहा है कि 131-59-62 हेक्टेयर का एसईजेड कारीगर / हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए लाभप्रद नहीं होगा, इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि उसी स्थान पर हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए 131-59-62 हेक्टेयर की बजाय 15 हेक्टेयर में प्रस्तावित एसईजेड का विकास किया जाएगा। इसलिए जीआईडीसी ने एसईजेड का क्षेत्रफल 131-59-62 हेक्टेयर से घटाकर 15 हेक्टेयर करने तथा एसईजेड का सेक्टर "हस्तशिल्प एवं कारीगर" से बदलकर "हस्तशिल्प" करने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 42.17 : नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का थर्मल राख से बने ब्रिक एवं ब्लॉक के डीटीए में व्यापार पर निषेध की शर्त हटाने के लिए अनुरोध

नासिक, महाराष्ट्र में 1006.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा बहु उत्पाद्य एसईजेड 27 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में 1350 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए सह विकासक बनने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। 08 जून, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सह विकासक को अन्य बातों के साथ अधिकृत प्रचालन के रूप में 2.5 एकड़ के क्षेत्रफल में राख के उपयोग एवं सज्जीकरण जैसे कि ब्रिक एवं ब्लॉक

निर्माण संयंत्र के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई थी कि सह विकासक थर्मल राख से निर्मित ब्रिक एवं ब्लॉक का व्यापार डीटीए में नहीं करेगा।

अब सह विकासक ने थर्मल राख से निर्मित ब्रिक एवं ब्लॉक के डीटीए में व्यापार पर निषेध की शर्त को हटाने के लिए अनुरोध किया है। सह विकासक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत औचित्य अनुबंध 4 के रूप में संलग्न है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 42.18 : श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबलिंग के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 85.375 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 17 अगस्त 2005 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसईजेड को 19 जुलाई, 2006 को पुन: अधिसूचित किया गया। एलओए दिनांक 21 अगस्त 2009 के माध्यम से मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित है। 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक में सह विकासक को निम्नलिखित के अधीन एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन के रूप में 60 बिस्तर वाला अस्पताल (जिसका क्षेत्रफल 4010 वर्गमीटर होगा) स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी।

(क) अस्पताल केवल इस एसईजेड के स्टाफ, आसपास के एसईजेड के स्टाफ तथा हाइवे पर दुर्घटनाओं के कारण ट्रामा के मामलों के लिए सेवाएं प्रदान करेगा;
(ख) उपर्युक्त श्रेणी के अलावा किसी बाहरी मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा; और
(ग) नोकिया एसईजेड, विकासक को इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय से अवश्य अवगत कराया जाएगा ताकि अनुमोदन की मूल भावना बनी रहे।

अब विकासक ने यह कहते हुए उपर्युक्त शर्तों में ढील प्रदान करने का अनुरोध किया है कि यह उनकी व्यावसायिक चिकित्सा नैतिकता में दखल है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है और प्रचालन से जुड़ी गंभीर कमियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। 9 अप्रैल, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उक्त अनुरोध पर विचार किया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया था तथा निदेश दिया कि शर्तों में ढील प्रदान करने के लिए सह विकासक से विस्तृत औचित्य प्राप्त किया जाए जिसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि नोकिया जैसा विशाल एसईजेड तथा आसपास के अन्य एसईजेड पर्याप्त पेशेंट लोड प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं हैं। विकासक ने अब शर्तों में ढील देने के लिए औचित्य प्रस्तुत किया है (अनुबंध 5)। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 42.19 : एसईजेड के क्षेत्र में आपदा जैसे कि आतंकी हमला एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा रिकवरी साइट के लिए सिरूसेरी एसईजेड, चेन्नई की यूनिट मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड सिरूसेरी चेन्नई में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का एक यूनिट धारक तथा विकासक है। मैसर्स टीसीएस ई-सर्व इंटरनेशनल लिमिटेड, जो टीसीएसएल की सहायक कंपनी है, डीएलएफ एसईजेड, चेन्नई में एक यूनिट है।

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने यह कहते हुए एसईजेड के क्षेत्र में आपदा जैसे कि आतंकी हमला एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा रिकवरी साइट के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है कि आपातकाल की स्थिति में सिरूसेरी एसईजेड से जो प्रचालन संचालित किए जा रहे हैं उनको अस्थाई रूप से डीएलएफ एसईजेड की यूनिट मैसर्स टीसीएस ई-सर्व इंटरनेशनल लिमिटेड में शिफ्ट करना पड़ सकता है।

उन्होंने यह भी कहा है कि प्रचालन एसईजेड से सिट्काम कनेक्शन के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए अनन्य रूप से कोई विशिष्ट नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा। परिस्थितियों पर आपदा अवधि के दौरान अवसंरचना की कोई द्विरावृत्ति नहीं होगी तथा जनशक्ति जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, मूवमेंट केवल अस्थाई आधार पर होगा तथा केवल जनशक्ति को, न कि पूंजी माल को शिफ्ट किया जाएगा और ऐसे मूवमेंट के मामले में वे विकास आयुक्त के कार्यालय को सूचित करेंगे।

विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस, तमिलनाडु जिससे यूनिट ने उपर्युक्त अनुरोध किया है, ने इस विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 59 का हवाला दिया है तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के अनुरोध पर विचार किए जाने का निवेदन किया है। विकास आयुक्त ने इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करने का भी अनुरोध किया है कि क्या ऐसे अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखे जाने चाहिए।

मद संख्या 42.20 : संस्पर्श में छूट

(i) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 30 जुलाई 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। उपर्युक्त एसईजेड 1233.6767 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 21 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। 5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक के निम्नलिखित अनुरोध पर विचार किया गया :

- **(क) सन्निकटता सुनिश्चित करने के लिए मूलत: लगाई गई शर्त में ढील देना;**
- **(ख) अंडर पास के निर्माण की शर्त में ढील देना, जिसके लिए उन्होंने ग्राउंड पर सुरक्षित संपर्क का सुझाव दिया है; और**
- **(ग) द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में उनके बहु उत्पाद एसईजेड में 7 मल्टी इंट्री / एग्जिट प्वाइंट के निर्माण के लिए अनुमोदन (उपर्युक्त ख के माध्यम से मांगी गई छूट को ध्यान में रखते हुए;**

(घ) प्रसंस्करण क्षेत्रों के बीच सन्निकटता स्थापित करने के लिए फ्लाईओवर के स्थान पर दो स्काई वाक को मंजूरी प्रदान करना।

पिछली बार 11 फरवरी, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा राजस्व विभाग के अनुरोध पर आस्थगित कर दिया गया था। राजस्व विभाग ने अब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा नवी मुंबई एसईजेड के संशोधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। उनकी विस्तृत टिप्पणियां अनुबंध 6 के रूप में संलग्न हैं।

मद संख्या 42.21 : एक एसईजेड से यूनिटों को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई (श्रीराम गेटवे एसईजेड) में यूनिट के ट्रांसफर के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा एलओए का धारक है। यूनिट ने पेरुंगलाथूर गांव, चेन्नई में श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए अनुरोध किया है। 13 जुलाई, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड इस मुद्दे पर यूनिट के साथ और चर्चा करेंगे और जब यूनिट स्पष्ट रूप से बता देगी कि वे सभी बारीकियों को समझने के बाद शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं तब प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए वापस लाया जा सकता है।

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसार, विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने मुद्दे पर मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड के साथ चर्चा की है तथा सूचित किया है कि यूनिट ने समझ लिया है कि यूनिट प्रस्ताव की बारीकियों से अवगत है जिसमें कर का मुद्दा भी शामिल है और अपनी यूनिट को एमडब्ल्यूसी एसईजेड से श्रीराम गेटवे एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए सोच-समझकर निर्णय लिया है और इसलिए अनुरोध किया है कि अनुरोध पर विचार किए जाने के लिए इसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाए। विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 7 के रूप में संलग्न है।

(ii) कांडला एसईजेड में यूनिट को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल्स जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल्स प्रस्तावित गारमेंट्स / सभी प्रकार के फटे पुराने वस्त्र के विनिर्माण के लिए एलओए धारक है। यूनिट ने यह कहते हुए कांडला एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए अनुरोध किया है कि लेनदेन की लागत में वृद्धि के कारण वे पूर्ण क्षमता पर यूनिट का प्रचालन करने में असमर्थ हैं। यूनिट द्वारा प्रस्तावित अंतरण के लिए प्रदान किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है। यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 42.22 : अतिरिक्त प्रवेश / निकास गेट के लिए अनुरोध

(i) नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्य एसईजेड के संबंध में अतिरिक्त प्रवेश / निकास बिंदु के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

नासिक, महाराष्ट्र में 1006.96 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा बहु उत्पाद्य एसईजेड** 27 **अक्टूबर,** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अब विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से प्रसंस्करण क्षेत्र में** 2 **प्रवेश / निकास बिंदुओं के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि संभावित यूनिटों से प्राप्त हो रही मांग की रूझान को देखते हुए विकास लागत को अभीष्ठ करने तथा संभावित औद्योगिक यूनिटों की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एसईजेड का चरणबद्ध ढंग से विकास करने का निर्णय लिया गया है। प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए चिह्नित पहले चरण के मामले में, निर्माण** 5 **किमी लंबी साइट के लंबवत केंद्र में युक्तिपूर्वक स्थित है। तद्नुसार, पहले चरण में प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए** 18203 **हेक्टेयर चिह्नित किया गया है। इसकी वजह से दूसरा प्रवेश / निकास बिंदु आवश्यक हो गया है। विकास आयुक्त ने एसईजेड नियमावली,** 2006 **के नियम** 11 (2) **का हवाला दिया है तथा अनुरोध किया है कि विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाए।**

(ii) ग्राम केंडुर्स, नीमगांव, दावड़ी और कान्हेरसार, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्य एसईजेड के संबंध में अतिरिक्त प्रवेश / निकास बिंदु के लिए मैसर्स खेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रच्कर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

जिला पुणे, महाराष्ट्र में 1000 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स खेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रच्कर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा बहु उत्पाद्य एसईजेड** 16 **जून,** 2010 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अब विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से प्रसंस्करण क्षेत्र में** 3 **प्रवेश / निकास बिंदुओं के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है तथा चारदीवारी और बाड़बंदी के निर्माण का ब्यौरा इस प्रकार है :**

(क) प्रवेश / निकास बिंदु

(i) **औद्यागिक ट्रैफिक के प्रवेश / निकास गेट** - 2

(ii) **अतिरिक्त प्रवेश / निकास** - 1

(ख) चारदीवारी / बाड़बंदी

(i) **चारदीवारी : सड़कों / संपर्क मार्गों से अच्छी तरह दिखने वाले क्षेत्रों में तथा प्रवेश / निकास गेट के आसपास** 0.60 **मीटर ऊंची कटीले तार की फेंसिंग के साथ कुर्सी क्षेत्र से ऊपर** 1.80 **मीटर ऊंची चिनाई दीवार के साथ कुल** 2.4 **मीटर ऊंची चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा।**

(ii) **बाड़बंदी : सभी अन्य क्षेत्रों के लिए शीर्ष पर** 1.80 **मीटर ऊंची चेन टाइप फेंसिंग के साथ** 0.60 **मीटर ऊंची चिनाई दीवार के साथ कुल** 2.4 **मीटर ऊंची चेन लिंक फेंसिंग।**

विकास आयुक्त ने एसईजेड नियमावली, 2006 **के नियम** 11 (2) **का हवाला दिया है तथा अनुरोध किया है कि विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाए।**

मद संख्या 42.23: अनुमोदन बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन

(i) मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल तथा पेट्रोलियम के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का अनुरोध

587.91 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 6 **नवंबर**, 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड के प्रयोजनार्थ चिह्नित कुल भूमि में से** 100 **एकड़ के क्षेत्रफल में** 1.50 **मिलियन मीट्रिक टन के स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल भंडारण की स्थापना के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए आईएसपीआरएल के अनुरोध पर** 11 **फरवरी**, 2010 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। यह देखते हुए कि सुविधा राष्ट्रीय सामरिक महत्व की है, निर्णय लिया गया कि निर्णय लेने के लिए मामले की फाइल पर जांच की जाएगी। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक** 18 **नवंबर** 2009 **उपलब्ध कराया गया है। तद्नुसार, मामले की जांच की गई और एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए आईएसपीआरएल के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।** 12 **अगस्त**, 2010 **को मंजूरी पत्र जारी किया गया है। यह सूचना / पुष्टि के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

मद संख्या 42.24 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) अधिकृत प्रचालनों के लिए डीजल के ड्यूटी फ्री आयात / प्रापण के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड के आदेश के विरूद्ध मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड की अपील

साई गांव, पनवेल तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में 45.76 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड** 4 **मई**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अधिकृत प्रचालनों के लिए डीजल के ड्यूटी फ्री आयात / प्रापण के लिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से अनुरोध किया था। यूनिट अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा** 03 **जून**, 2010 **को अनुरोध पर विचार किया गया तथा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि सामान्यतया राजस्व विभाग द्वारा डीजल के ड्यूटी फ्री आयात / प्रापण पर विचार नहीं किया जाता है और चूंकि डीजल उपभोज्य वस्तु है तथा एसईजेड नियमावली के अनुसार "उपभोज्य वस्तु" की परिभाषा विनिर्माण के लिए प्रयोग निर्धारित करती है। विकासक ने बताया है कि एफटीडब्ल्यूजेड के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य विभाग में आयोजित बैठक में पहले इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। इसके बाद, अनुदेश संख्या** 49 **दिनांक** 12 **मार्च**, 2010 **के माध्यम से एफटीडब्ल्यूजेड के मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी किए गए तथा उसमें भी स्पष्ट किया गया कि एसईजेड नियमावली का नियम** 27 **सामग्री हैंडलिंग उपकरण सहित प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए सभी प्रकार के डीजल का प्रापण करने के लिए विकासक को अनुमति प्रदान करता है। इसलिए विकासक ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के खिलाफ अपील दाखिल की है।**

(ii) एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, मणिकंचन एसईजेड के आदेश के विरूद्ध मैसर्स सरवन कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड जो मणिकंचन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता की एक यूनिट है, की अपील

एसईजेड के विकासक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआईडीसी) द्वारा वर्ष 2003 में मणिकंचन एसईजेड में मैसर्स सरवन कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड को 465 वर्गमीटर का रेडी बिल्ट अप क्षेत्र आवंटित किया गया। हालांकि इसी तरह स्थापित अन्य यूनिटों ने एलओपी लिया और विनिर्माण की अपनी गतिविधियों को आरंभ किया और निर्यात भी किया परंतु इस यूनिट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया और रेडी बिल्ट अप क्षेत्र का समुचित कब्जा प्राप्त करने के लिए एलओपी जारी करने के लिए विकास आयुक्त को कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। मामला उच्च न्यायालय तक में गया क्योंकि डब्ल्यूबीआईडीसी देयों का भुगतान न किए जाने के कारण यूनिट का आवंटन रद्द करने वाला था। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा मामले का निपटारा किया गया जिसमें इस निदेश के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया गया कि याचिकाकर्ता 7 दिन की अवधि के अंदर बकाया देयों का भुगतान करे। इसके बाद यूनिट ने गोल्ड एवं ज्वैलरी के निर्माण के लिए एलओपी के लिए आवेदन किया जो 01 सितंबर, 2008 को इस निदेश के साथ जारी किया गया कि यूनिट को एलओपी जारी किए जाने की तिथि से एक साल के अंदर निर्यात की गतिविधि शुरू करनी चाहिए। यूनिट ने आर्थिक मंदी के कारण एक साल के अंदर कोई निर्यात शुरू नहीं किया और वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 18 सितंबर, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया तथा यूनिट अनुमोदन समिति ने इस टिप्पणी के साथ 6 माह के लिए अर्थात 28 फरवरी, 2010 तक अवधि बढ़ाई कि इस अवधि के अंदर यूनिट निर्यात की अपनी गतिविधि शुरू करे। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की वैधता समाप्त हो जाने के बाद यूनिट ने एलओपी की वैधता बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध किया। इस बार यूनिट के अनुरोध पर विचार करने पर पूर्व डब्ल्यूबीआईडीसी की टिप्पणियां प्राप्त की गईं। डब्ल्यूबीआईडीसी ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि और नहीं बढ़ाई जानी चाहिए तथा एलओपी के निरसन तथा क्षेत्र को खाली करने के लिए यूनिट के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को सकारण आदेश दिनांक 06 मई, 2010 के माध्यम से सूचित किया गया।

अब यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित यूनिट ने आदेश दिनांक 06 मई, 2010 को अपास्त करने तथा यूनिट आरंभ करने एवं परियोजना को लागू करने के लिए अपने एलओपी की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है।

(iii) एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, मणिकंचन एसईजेड के आदेश के विरूद्ध मैसर्स पूर्वांचल पावर कंपनी लिमिटेड जो मणिकंचन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता की एक यूनिट है, की अपील

एसईजेड के विकासक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआईडीसी) द्वारा वर्ष 2003 में मणिकंचन एसईजेड में मैसर्स प्रीतम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 465 वर्गमीटर का रेडी बिल्ट अप क्षेत्र आवंटित किया गया। हालांकि इसी तरह स्थापित अन्य यूनिटों ने एलओपी लिया और विनिर्माण की अपनी गतिविधियों को आरंभ किया और निर्यात भी किया परंतु इस यूनिट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया और रेडी बिल्ट अप क्षेत्र का समुचित कब्जा प्राप्त करने के लिए एलओपी जारी करने के लिए विकास आयुक्त को कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। मामला उच्च न्यायालय तक में

गया क्योंकि डब्ल्यूबीआईडीसी देयों का भुगतान न किए जाने के कारण यूनिट का आवंटन रद्द करने वाला था। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा मामले का निपटारा किया गया जिसमें इस निदेश के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया गया कि याचिकाकर्ता 7 दिन की अवधि के अंदर बकाया देयों का भुगतान करे। बताया गया कि हालांकि डब्ल्यूबीआईडीसी द्वारा किया गया मूल आवंटन मैसर्स प्रीतम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम में था, परंतु माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका मैसर्स पूर्वांचल पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा दाखिल की गई।

इसके बाद मैसर्स पूर्वांचल पावर कंपनी लिमिटेड ने गोल्ड एवं ज्वैलरी के निर्माण के लिए एलओपी के लिए आवेदन किया जो 01 सितंबर, 2008 को इस निदेश के साथ जारी किया गया कि यूनिट को एलओपी जारी किए जाने की तिथि से एक साल के अंदर निर्यात की गतिविधि शुरू करनी चाहिए। यूनिट ने आर्थिक मंदी के कारण एक साल के अंदर कोई निर्यात शुरू नहीं किया और वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 18 सितंबर, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया तथा यूनिट अनुमोदन समिति ने इस टिप्पणी के साथ 6 माह के लिए अर्थात 28 फरवरी, 2010 तक अवधि बढ़ाई कि इस अवधि के अंदर यूनिट निर्यात की अपनी गतिविधि शुरू करे। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की वैधता समाप्त हो जाने के बाद यूनिट ने एलओपी की वैधता बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध किया। इस बार यूनिट के अनुरोध पर विचार करने पर पूर्व डब्ल्यूबीआईडीसी की टिप्पणियां प्राप्त की गईं। डब्ल्यूबीआईडीसी ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि और नहीं बढ़ाई जानी चाहिए तथा एलओपी के निरसन तथा क्षेत्र को खाली करने के लिए यूनिट के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को सकारण आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के माध्यम से सूचित किया गया।

अब यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित यूनिट ने आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 2010 को अपास्त करने तथा यूनिट आरंभ करने एवं परियोजना को लागू करने के लिए अपने एलओपी की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है।

(iv) एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, मणिकंचन एसईजेड के आदेश के विरूद्ध मैसर्स जानकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो मणिकंचन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता की एक यूनिट है, की अपील

एसईजेड के विकासक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआईडीसी) द्वारा वर्ष 2003 में मणिकंचन एसईजेड में मैसर्स जानकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 465 वर्गमीटर का रेडी बिल्ट अप क्षेत्र आवंटित किया गया। हालांकि इसी तरह स्थापित अन्य यूनिटों ने एलओपी लिया और विनिर्माण की अपनी गतिविधियों को आरंभ किया और निर्यात भी किया परंतु इस यूनिट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया और रेडी बिल्ट अप क्षेत्र का समुचित कब्जा प्राप्त करने के लिए एलओपी जारी करने के लिए विकास आयुक्त को कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। मामला उच्च न्यायालय तक में गया क्योंकि डब्ल्यूबीआईडीसी देयों का भुगतान न किए जाने के कारण यूनिट का आवंटन रद्द करने वाला था। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा मामले का निपटारा किया गया जिसमें इस निदेश के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया गया कि याचिकाकर्ता 7 दिन की अवधि

के अंदर बकाया देयों का भुगतान करे। इसके बाद मैसर्स जानकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने गोल्ड एवं ज्वैलरी के निर्माण के लिए एलओपी के लिए आवेदन किया जो 01 सितंबर, 2008 को इस निदेश के साथ जारी किया गया कि यूनिट को एलओपी जारी किए जाने की तिथि से एक साल के अंदर निर्यात की गतिविधि शुरू करनी चाहिए। यूनिट ने आर्थिक मंदी के कारण एक साल के अंदर कोई निर्यात शुरू नहीं किया और वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 18 सितंबर, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया तथा यूनिट अनुमोदन समिति ने इस टिप्पणी के साथ 6 माह के लिए अर्थात 28 फरवरी, 2010 तक अवधि बढ़ाई कि इस अवधि के अंदर यूनिट निर्यात की अपनी गतिविधि शुरू करे। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की वैधता समाप्त हो जाने के बाद यूनिट ने एलओपी की वैधता बढ़ाने के लिए पुनः अनुरोध किया। इस बार यूनिट के अनुरोध पर विचार करने पर पूर्व डब्ल्यूबीआईडीसी की टिप्पणियां प्राप्त की गईं। डब्ल्यूबीआईडीसी ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि और नहीं बढ़ाई जानी चाहिए तथा एलओपी के निरसन तथा क्षेत्र को खाली करने के लिए यूनिट के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को सकारण आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2010 के माध्यम से सूचित किया गया।

अब यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित यूनिट ने आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2010 को अपास्त करने तथा यूनिट आरंभ करने एवं परियोजना को लागू करने के लिए अपने एलओपी की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है।

(v) एलओपी की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, मणिकंचन एसईजेड के आदेश के विरूद्ध मैसर्स अंचिता कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड जो मणिकंचन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता की एक यूनिट है, की अपील

एसईजेड के विकासक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआईडीसी) द्वारा वर्ष 2003 में मणिकंचन एसईजेड में मैसर्स अंचिता कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड को 465 वर्गमीटर का रेडी बिल्ट अप क्षेत्र आवंटित किया गया। हालांकि इसी तरह स्थापित अन्य यूनिटों ने एलओपी लिया और विनिर्माण की अपनी गतिविधियों को आरंभ किया और निर्यात भी किया परंतु इस यूनिट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया और रेडी बिल्ट अप क्षेत्र का समुचित कब्जा प्राप्त करने के लिए एलओपी जारी करने के लिए विकास आयुक्त को कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। मामला उच्च न्यायालय तक में गया क्योंकि डब्ल्यूबीआईडीसी देयों का भुगतान न किए जाने के कारण यूनिट का आवंटन रद्द करने वाला था। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा मामले का निपटारा किया गया जिसमें इस निदेश के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया गया कि याचिकाकर्ता 7 दिन की अवधि के अंदर बकाया देयों का भुगतान करे। इसके बाद मैसर्स अंचिता कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड ने गोल्ड एवं ज्वैलरी के निर्माण के लिए एलओपी के लिए आवेदन किया जो 01 सितंबर, 2008 को इस निदेश के साथ जारी किया गया कि यूनिट को एलओपी जारी किए जाने की तिथि से एक साल के अंदर निर्यात की गतिविधि शुरू करनी चाहिए। यूनिट ने आर्थिक मंदी के कारण एक साल के अंदर कोई निर्यात शुरू नहीं किया और वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 18 सितंबर, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया तथा यूनिट अनुमोदन समिति ने इस टिप्पणी के साथ 6 माह के लिए अर्थात 28 फरवरी, 2010

तक अवधि बढ़ाई कि इस अवधि के अंदर यूनिट निर्यात की अपनी गतिविधि शुरू करे। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की वैधता समाप्त हो जाने के बाद यूनिट ने एलओपी की वैधता बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध किया। इस बार यूनिट के अनुरोध पर विचार करने पर पूर्व डब्ल्यूबीआईडीसी की टिप्पणियां प्राप्त की गईं। डब्ल्यूबीआईडीसी ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि और नहीं बढ़ाई जानी चाहिए तथा एलओपी के निरसन तथा क्षेत्र को खाली करने के लिए यूनिट के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को सकारण आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2010 के माध्यम से सूचित किया गया।

अब यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित यूनिट ने आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2010 को अपास्त करने तथा यूनिट आरंभ करने एवं परियोजना को लागू करने के लिए अपने एलओपी की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है।

(vi) यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच जो एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई की एक यूनिट है, की अपील

मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात ब्लड टेस्टिंग एनलाइजर्स और स्पेयर पार्ट्स तथा एसेसजरीज के विनिर्माण एवं निर्यात के एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। 26 मार्च, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति द्वारा मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच के अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि समिति ने नोट किया कि प्रमोटर को उल्लंघन के लिए एफटी (डीएंडआर) के तहत दंडित किया गया है। अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के माध्यम से सूचित किया गया।

अब अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है।

(vii) एलओपी के निरसन के विरूद्ध मैसर्स मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो दाहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र की एक यूनिट है, की अपील

मैसर्स मेघमणि स्पेसियलिटी केमिकल्स लिमिटेड (एमएससीएल) को आईटीसी एचएस के अध्याय 23, 32 और 38 के अंतर्गत आने वाले एसओ डाई इंटरमीडिएट, ऑप्टिकल ब्राइटेनिंग एजेंट, कृषि रसायन एवं अन्य रसायनों के विनिर्माण के लिए 03 मार्च, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, उसकी मूल कंपनी अर्थात मैसर्स मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) को एलओपी के अंतरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। यूनिट के एलओपी की अवधि 02 मार्च, 2011 तक बढ़ाई भी गई थी।

इसके बाद यूनिट को प्रदान किए गए अनुमोदन की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया क्योंकि अनुमोदन समिति की जानकारी में यह आया कि यूनिट ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के उल्लंघन के मामलों से संबंधित ब्यौरों की घोषणा नहीं की है जिसे

दाहेज एसईजेड में यूनिट की स्थापना के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन फार्म 'एफ' में खुलासा करने की आवश्यकता थी। इसके बाद 25 जून, 2010 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 (1) के अनुसरण में यूनिट के एलओपी को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को 02 जुलाई, 2007 को सूचित किया गया।

अब अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एलओपी को बहाल करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है।

मामले की फाइल पर भी जांच की गई तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा मैसर्स मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अपील पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक उसके एलओपी के निरसन को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

(viii) एलओपी के निरसन के विरूद्ध मैसर्स मेघमणि केमटेक लिमिटेड जो दाहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र की एक यूनिट है, की अपील

मैसर्स मेघमणि ऑर्गेनिक लिमिटेड (एमओएल) को आईटीसी एचएस के अध्याय 29,32,34 और 38 के अंतर्गत आने वाले पिगमेंट, हाई परफार्मेंस पिगमेंट, इसके इंटरमीडिएट, बेसिक / फाइन रसायन एवं इसके डेरिवेटिव्स, कृषि रसायन - तकनीकी एवं बल्क में इसके फार्मुलेशन एवं स्माल में फार्मुलेशन के विनिर्माण के लिए 05 मई, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट को एसपीवी अर्थात मैसर्स मेघमणि केमटेक लिमिटेड (एमसील) के तहत परियोजना कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। यूनिट के एलओपी की अवधि 31 दिसंबर, 2010 तक बढ़ाई भी गई थी।

इसके बाद यूनिट को प्रदान किए गए अनुमोदन की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया क्योंकि अनुमोदन समिति की जानकारी में यह आया कि यूनिट ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के उल्लंघन के मामलों से संबंधित ब्यौरों की घोषणा नहीं की है जिसे दाहेज एसईजेड में यूनिट की स्थापना के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन फार्म 'एफ' में खुलासा करने की आवश्यकता थी। इसके बाद 25 जून, 2010 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 (1) के अनुसरण में यूनिट के एलओपी को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को 02 जुलाई, 2007 को सूचित किया गया।

अब अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स मेघमणि केमटेक लिमिटेड ने एलओपी को बहाल करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है।

मामले की फाइल पर भी जांच की गई तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा मैसर्स मेघमणि केमटेक लिमिटेड की अपील पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक उसके एलओपी के निरसन को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

(ix) एलओपी के निरसन के विरूद्ध मैसर्स गोलकुंडा डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड जो सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र की एक यूनिट है, की अपील

यूनिट को डायमंड एंड जेम्स स्टडेड ज्वैलरी तथा प्लेन गोल्ड ज्वैलरी के निर्माण के लिए 22 दिसंबर, 2007 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट के एलओपी की अवधि दो बार बढ़ाई भी गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 21 दिसंबर 2009 तक वैध थी। यूनिट एलओपी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार परियोजना कार्यान्वित करने में असफल रही और इसलिए एलओपी के निरसन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निजी सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। इसके बाद, 11 जून, 2010 को नियम 19(5) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में विकास आयुक्त द्वारा यूनिट का एलओपी निरस्त कर दिया गया, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि एलओपी की मूल या बढ़ाई गई अवधि के अंदर उत्पादन शुरू नहीं होता है, तो उसे कालातीत समझा जाएगा। बाद में मामले को 15 जुलाई, 2010 को यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया और समिति ने विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की।

अब अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स गोलकुंडा डायमंड्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड ने एलओपी को बहाल करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है।

(x) अपीलीय समिति के आदेश का पालन न होने के आधार पर शास्ति की वसूली के लिए प्रस्ताव के विरूद्ध मैसर्स पेट प्लास्टिक्स लिमिटेड, जो केएएसईजेड की एक यूनिट है, की अपील

प्लास्टिक्स की विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में मैसर्स पेट प्लास्टिक्स लिमिटेड स्थापित किया गया। करार दिनांक 17 जुलाई, 2001 के माध्यम से इसे एसईजेड यूनिट में परिवर्तित किया गया। यूनिट ने बताया है कि 1994 से 1996 की अवधि के दौरान ड्यूटी का भुगतान किए बिना डीटीए से कुछ सामग्री खरीदी गई। सीमा शुल्क के प्राधिकारियों ने सितंबर 1999 में उक्त सामग्रियों को जब्त कर लिया तथा शास्ति लगाया। सेस्टैट में अपीलीय कार्यवाही ने 2005 में जब्ती को अपास्त कर दिया। बीच की अवधि के दौरान नवंबर 2000 में निर्यात बाध्यता को पूरा न करने के लिए शास्ति लगाने के लिए यूनिट को नोटिस जारी किया गया तथा मार्च 2004 में 1 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई गई। अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचार किया गया जिसने 6 माह की अवधि के अंदर किसी भी मूल्य पर माल के निर्यात के अधीन शास्ति को अपास्त कर दिया।

यूनिट ने आरोप लगाया है कि विभिन्न कारणों से विकास आयुक्त द्वारा उन्हें छूट की अवधि के दौरान निर्यात करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए यूनिट ने निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध किया है :

(क) यह कि एसईजेड नियमावली के नियम 53 के अनुसरण में की गई आपूर्तियों को अपीलीय समिति के निर्णय के परिवाद के रूप में लिया जाए
(ख) माल की रिहाई
(ग) बेदख़ली के नोटिस को अमान्य घोषित करना
(घ) बैंक गारंटी को वापस करना
(ङ) 1000 वर्गमीटर का भूखंड आवंटित करना

मामले के तथ्यों तथा मांगी गई राहतों का ब्यौरा प्रदान करने वाली यूनिट की विस्तृत अपील अनुबंध 9 के रूप में संलग्न है। यूनिट की अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

*****